दिनांक 18 जुलाई, 2016 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

➢ **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक– 506/241/एन0यू0एल0एम0/2015–16(समीक्षा) दिनांक 06.07.2016** द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों तथा शहर मिशन प्रबंधकों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

➢ बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत आगरा, इलाहाबाद, मथुरा, मेरठ तथा आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत औरैया, हरदोई, कानपुर नगर (बिठूर), मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर एवं सुल्तानपुर जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल कार्यदायी संस्था को सूडा से प्राप्त धनराशि अवमुक्त कर दें। यदि कहीं कोई विवाद/कोर्ट केस आदि के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो धनराशि वापस कर दें।

➢ आई0एच0एस0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षोपरान्त निर्देशित किया गया कि जिन जनपदो में कार्य पूर्ण नही हो सका है उनमें तेजी लायी जाय तथा जहॉ कार्य पूर्ण हो गये हैं वे तत्काल कम्पलीशन सार्टिफिकेट/उपयोगिता प्रमाण'पत्र तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

➢ सभी परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनको शीघ्र लभार्थियों को आवंटित करने एवं लाभार्थी अंशदान की धनराशि कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये।

➢ आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद अलीगढ़, इलाहाबाद, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, ललितपुर एवं सहारनपुर को अवगत कराया गया कि उन्हें जो धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, उसी धनराशि से आवासो के निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है, उक्त के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में मार्च, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये तथा 05 जनपद–मुजफ्फरनगर, लखनऊ, मुरादाबाद, कन्नौज एवं आगरा के परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि मूल्यवृद्धि की कोई डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाती है तो उसमें उक्त मूल्यवृद्धि के औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि आसरा योजनान्तर्गत बजट अनुदान संख्या–37 (सामान्य) में कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति) के प्रस्ताव अधिक उपलब्ध कराये जायें। यह भी निर्देश दिये गये कि द्वितीय किस्त/अवस्थापना सुविधा के प्रस्ताव भी शीघ्र उपलब्ध कराये जायें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

1. रिक्शा योजनान्तर्गत सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि वे शासन के निर्देशानुसार चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि रिक्शा वितरण हेतु पात्र लाभार्थियों के चयन में संबंधित शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा संबंधित स्थानीय निकाय का प्रमाण–पत्र आवश्यक प्राप्त करें।
2. ई–रिक्शों के वितरण से पूर्व सभी सम्भावित जनपद यह सुनिश्चित करें कि अभिकरण मुख्यालय से निर्धारित दो विविध प्रारूपों पर ई–रिक्शों की प्राप्ति एवं वितरण से सम्बन्धित सभी अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जाएं। इन दोनों प्रारूपों पर परियोजना अधिकारी मोहर सहित हस्ताक्षर करें एवं परियोजना निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित भी कराएं। जनपद इन ई–रिक्शों की स्टाक रजिस्टर पर औपचारिक पृविष्टि(सम्पूर्ण विवरण सहित) दर्ज कर मुख्यालय को प्रेषणीय आपूर्ति इन्वायस के साथ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. मा0 मुख्यमंत्री जी के 'मेगा कॉल सेंटर' परियोजना के अन्तर्गत चयनित विभाग की ई–रिक्शा योजना के लाभार्थियों से सम्बन्धित (पूर्व निर्गत फार्मेट के अनुरूप) विवरण प्रेषित न किए जाने वाले जिलों को निर्देश दिये गये कि तत्काल सूचना प्रेषित की जायें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण

न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

उषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों में भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप सर्वेक्षण बन्द किए जाने सम्बधी अभिकरण द्वारा पूर्व निर्गत निर्देश की समीक्षा की गयी। साथ ही जनपदों में इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की भी समीक्षा की गयी। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सभी जनपद तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें। अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को समर्पित करें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

सर्वप्रथम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के सम्बन्ध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी परियोजना अधिकारियों/सहायक परियोजना अधिकारियों तथा शहर मिशन प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

- बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों की प्रथम त्रैमास की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये आपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।
- जिन जनपदों के परियोजना अधिकारियों ने लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक कम्प्यूटर कय नहीं किया है, पर अत्यन्त अप्रसन्नता एवं क्षोभ व्यक्त किया गया तथा एक सप्ताह में कम्प्यूटर कय करने के निर्देश दिये गये।
- सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत उपघटकवार भौतिक/वित्तीय प्रगति की सूचना एम0पी0आर0 के साथ–साथ एम0आई0एस0 में भी अवश्य दर्शायी जाये। दोनो सूचनाओं में समानता होनी चाहिये।
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूह ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनका शाखावार विवरण मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु असेसिंग बॉडी से समन्वय स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा/सी.एम.एम.यू.)

आई0एल0सी0एस0

- आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रेषित करने हेतु संबंधित 09 जनपदों को निर्देशित किया गया और मुख्यालय पर उपस्थित होकर आंकड़ो का मिलान करने का निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती योजना

- योजनान्तर्गत जनपद मेरठ के परियोजना अधिकारी को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्ती विकास योजना (एससीएसपी)

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/धनराशि से संबंधित 08 जनपदों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल मुख्यालय पर लेखामिलान कराते हुए लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अथवा धनराशि वापस कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन 18 जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप ''क'' एवं ''ख'' पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 1605/110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 27/7/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक